राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दिनांक-10.01.2026 को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया, सहरसा का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

---

दिनांक-10.01.2026 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के साथ प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया का औचक निरीक्षण लगभग 12:45 बजे अपराह्न में किया गया। निरीक्षण के क्रम में अंचल अधिकारी उपस्थित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के संबंध में बताया गया कि आवश्यक कार्य से समाहरणालय, सहरसा गये है।

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया पूर्व के पंचायत भवन में संचालित है। सर्वप्रथम RTPS Counter का निरीक्षण किया गया। अंचल भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पाया गया। जिससे कर्मियों को उक्त भवन में कार्य करने में दिक्कत होती है तथा आम जनता को भी कार्य में सुगमता नहीं रहती है। अतः जिला पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि उक्त भवन की मरम्मति एवं वैकल्पिक व्यवस्था हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाय।

प्रखंड कार्यालय उक्त पंचायत भवन के ग्राउन्ड फ्लोर में अवस्थित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के बगल में एक बड़े हॉल में सभी कर्मी आदि की बैठने की व्यवस्था है। उपस्थित कर्मियों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली गयी। RTI सूचना पंजी का अवलोकन किया गया। इसके प्रभारी लिपिक श्री प्रयाग कुमार हैं। इसमें पाया गया कि अधिकांश मामले में सूचना नहीं दी गयी है। तथा कतिपय मामलों में यह पाया गया कि कार्यालय में सूचना रहने के बावजूद भी यह अंकित करते हुए सूचना नहीं दिया गया है कि जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल कार्यालय में भेजा गया है वहीं से प्राप्त कर लिया जाय। प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों की जाँच कर लें तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर शीघ्र सूचना देना सुनिश्चित करें।

प्रखंड कार्यालय, सत्तरकटैया के रोकड़ पंजी की जाँच की गयी। रोकड़ पंजी दिनांक-30.11.2025 तक संधारित पाया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि को यथोचित रूप से बैंक खाता में तथा नियमानुसार कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इन राशि को नियमानुसार जमा किया जाना आवश्यक है। यह भी पाया गया कि विभिन्न मद में व्यय के उपरांत राशि का व्यवस्थित रूप से संधारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी राशि अग्रिम के रूप में करीब 2,18,32,259.85 तथा अभिश्रव पंजी में 1,85,77,555.90, Unposted अभिश्रव (विधान सभा का वाहन चालक का खुराकी) मद में 1,45,900.00 की राशि है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संगत नियमों के आलोक में सरकारी राशि का रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम एवं अभिश्रव के समायोजन हेतु ठोस कार्रवाई करेंगे तथा एक माह के अंदर इन लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि को नियमानुसार बैंक खाता अथवा कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि तीन सप्ताह के उपरांत पुनः अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सभी मामलों में विस्तृत बिन्दुओं पर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे।

अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया पंचायत भवन के प्रथम तल पर अवस्थित है। अंचल अधिकारी के कक्ष के बगल में एक बड़े हॉल में अंचल कर्मियों के बैठने की व्यवस्था है। अंचल कार्यालय का साफ-सफाई संतोषजनक पाया गया। अंचल कार्यालय के रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। रोकड़ पंजी दिनांक-30.11.2025 तक संधारित पाया गया। अंचल कार्यालय के संबंध में यह पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से

प्राप्त राशि को यथा नियमानुसार बैंक में तुरंत जमा करने तथा कोषागार में संगत नियमानुसार जमा करने में कोताही बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित जमा विवरणी पायी गयी:

कुल बैंक जमा राशि :- 2,09,995.41

अग्रिम :- 21,185.00

अभिश्रव :- 33,01,514.57

एक ताल :- 2,075.13

रोकड़ पंजी से यह विदित होता है कि अग्रिम के रूप में 21,185.00/- रूपये है जबकि अभिश्रव लगभग 33 लाख रूपये है। यह अभिश्रव किस मद का है अंचल अधिकारी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके।

अंचल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संगत नियमों के आलोक में सरकारी राशि का रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम एवं अभिश्रव के समायोजन हेतु ठोस कार्रवाई करेंगे तथा एक माह के अंदर इन लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा तीन सप्ताह के उपरांत अंचल कार्यालय का पुनः जाँच करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन समाहर्त्ता को देते हुए जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देगें।

इसके उपरांत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि समाधान पोर्टल पर अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जाँच की गयी। जाँचोपरांत निम्नांकित स्थिति है:-

अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया में Mutation के 267 वाद लंबित हैं। 127 आवेदन अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया के लॉगिन में, 52 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में एवं 33 आवेदन कर्मचारियों के लॉगिन में लंबित है। अंतिम आदेश हेतु 10 अंचल अधिकारी के स्तर पर, राजस्व अधिकारी के स्तर पर 13 आवेदन लंबित हैं। मापी के 40 मामला लंबित पाया गया जो काफी अधिक है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए मापी हेतु प्राप्त आवेदनों में से एक ही क्षेत्र के मापी की एक ही तिथि निर्धारित किया जाय। ताकि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। कई लंबित मामलों के संदर्भ में विपक्षी/अन्य लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने की बात बताई गई। इस संबंध में निर्धारित SOP का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपस्थिति में विडियोग्राफी कराते हुए तथा सभी तथ्यों को अंकित करते हुए मापी प्रतिवेदन तैयार किया जाए। तदनुसार एक माह से अधिक लंबित सभी मापी कार्य का निष्पादन किया जाय।

समीक्षा के उपरांत अंचल कार्यालय में उपस्थित परिवादियों/आवेदकों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना गया जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	परिवादी/आवेदक का नाम एवं पता	भूमि की विवरणी	विषय	आदेश
01	**श्री राजेन्द्र राय, पिता-स्व. कारी राय, ग्राम-पटोरी, थाना-बिहरा, अंचल-सत्तरकटैया, सहरसा।**	मौजा-पटोरी, थाना नं0-157, खाता सं0-1818, खेसरा-2313	वासगीत पर्चा निर्गत कर रसीद देने के संबंध में	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को निदेश दिया जाता है कि इनका वासगीत पर्चा के आवेदन पर जाँच कराकर 3 सप्ताह के अन्दर कार्रवाई करें।
02	**श्रीमति कुमारी मधुलिका, पिता-अरविन्द कुमार, सा0-दुम्मा, वार्ड नं0-8 थाना-बिहरा, अंचल-सत्तरकटैया, सहरसा।**	मौजा-सिसई, खाता सं0-69, खेसरा-1300, रकवा-18.33 डि0	अंचल सत्तरकटैया जनता दरबार में दिये गये आवेदन पर कार्रवाई करने के संबंध में।	दिनांक-24.01.2026 को अपराह्न 12:30 बजे अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष एवं परिवादी आयुक्त कार्यालय में सुनवाई हेतु कृत कार्रवाई के प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।

03	**श्री गोपाल शर्मा, पिता-स्व. बौआ शर्मा, सा0-पंचगछिया, वार्ड नं0-8 थाना-बिहरा, अंचल-सत्तरकटैया, सहरसा।**	मौजा-पंचगछिया, खाता सं0-46, खेसरा-2610, रकवा-10 धूर	बासडीह की जमीन का घेराबंदी कराने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि मापी प्रतिवेदन के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
04	**श्रीमति तारा देवी, पति-शंभू चौधरी, सा0-पदमपुर, वार्ड सं0-08, थाना-बिहरा, सहरसा।**	मौजा-पदमपुर, खाता सं0-285, 236, खेसरा सं0-2243, 3861	इनकी जमीन पर अवैध कब्जा एवं धमकी देने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि स्थलीय जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
05	**श्री बेचन यादव, ग्राम+पो0-सत्तर, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा**	खाता सं0-177, खेसरा-575, 373 etc.	भू माफिया द्वारा मौरूसी जमीन बिक्री करके बेदलख करने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि भूमि समाधान पोर्टल पर दर्ज करें तथा विधिसम्मत कार्रवाई 10 दिनों में सुनिश्चित करें।
06	**श्री दीपक चौधरी, पिता-जयनारायण चौधरी, ग्राम-पंचगछिया, थाना-बिहरा, सहरसा।**	खाता सं0-416, खेसरा सं0-851	फर्जी दस्तावेज लगाकर मौरूसी जमीन रजिस्ट्री तथा जमाबंदी खारिज करने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को निदेश दिया जाता है कि भूमि समाधान पोर्टल पर दर्ज करें तथा विधिसम्मत कार्रवाई 10 दिनों में सुनिश्चित करें।
07	**श्री सियाराम पासवान, पिता-स्व. आनंदी पासवान, सा0 लोकही, थाना-बिहरा, सहरसा।**	खाता सं0-79, खेसरा सं0-147, 657 etc.	खतियानी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकट्ैया/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि भूमि समाधान पोर्टल पर दर्ज करते हुए Legal action ensure करें।
08	**श्री सत्तो चौधरी, पिता-सव. बौनु चौधरी, थाना-बिहरा, सहरसा**		एन.एच. रोड में जमीन कटने के बाद बचा हुआ जमीन के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को निदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर सकारण प्रतिवेदन दें।
09	**श्रीमति नीता देवी, पंचायत समिति सदस्य पंचायत-पुरीख, सत्तरकटैया, सहरसा।**		सामुदायिक भवन वार्ड नं0-9 तुनियाही पुरीख में मरम्मति कार्य में गुणवत्ता की घोर अभाव के संबंध में।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया को निदेश दिया जाता है कि इसकी जाँच करते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य करायेंगे।
10	**बाबू साहब उर्फ रंभू कुमार, पिता - स्व0 हरेराम यादव, निवासी-सत्तर वार्ड नं0-07 थाना - बिहरा, जिला - सहरसा**		इनकी जमीन पर अवैध कब्जा एवं धमकी देने के संबंध में।	अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया/थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि भूमि समाधान पोर्टल पर दर्ज करते हुये आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी मामलो में अंचल अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वयं स्थल जाँच करते हुए तीन सप्ताह के अंदर नियमानुसार निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा अगले निरीक्षण में इन सभी बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई की समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

सामान्यतः यह देखा जा रहा कि सत्तरकटैया अंचल के पदाधिकारी, हल्का कर्मचारी एवं अमीन के कार्यों की समय-समय पर लगातार शिकायतें मुख्यालय स्तर पर प्राप्त हो रही है। अतः इस संबंध में सभी को सतर्क होकर काम करने का निदेश दिया जाता है। निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि शनिवारीय जनता दरबार का नोटिस थानाध्यक्ष के स्तर से निर्गत हो रहा है जो उचित स्थिति नहीं है। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के संगत निदेशानुसार परिवादों से संबंधित सभी कार्य अंचल के स्तर से करना है।

अंचल अधिकारी एवं कार्यालय में कार्यरत कर्मी के विलंब से कार्यालय आने की भी काफी शिकायतें हो रही है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आई0टी0 मैनेजर, कोशी प्रमंडल, सहरसा अंचल कार्यालय सत्तरकटैया के Biomatric उपस्थिति का प्रतिवेदन प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आगमन का तथा संध्या-6 बजे प्रस्ताव का डाक में अधोहस्ताक्षरी के अवलोनाकनार्थ रखेंगे।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि अंचल कार्यालय सत्तरकटैया से भूमि हस्तांतरण से संबंधित कुल 19 मामला वर्तमान में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के पास लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को निदेशित किया जाता है कि सभी मामलों को त्रुटि निराकरण करते हुए शीघ्र निर्णीत करेंगे। अंचल कार्यालय, सत्तरकटैया का बड़ा क्षेत्र शहर के आस-पास सटा हुआ है। इस अंचल में सरकारी भूमि का निजी व्यक्तियों के नाम किये जाने की प्रवृति रही है। विगत कुछ दिन पहले भी कई मामला प्रकाश में आया है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी हल्का/पंचायत की पूरी समीक्षा करके ऐसे सभी मामलो का रिकॉर्ड बनाकर पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। किये गये अपलोड की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए तत्काल जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अपर समाहर्त्ता को भेजा जाय। अपर समाहर्त्ता संबंधित पक्षकार को नोटिस करते हुए त्वरित रूप से सुनवाई कर सरकारी जमीन पर ऐसे सभी गलत जमाबंदी को रद्द करने के संदर्भ में सकारण आदेश से निस्तार करेंगे।

इस निरीक्षण टिप्पणी के सभी कंडिका के संदर्भ में कृत कारवाई का प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता 04 सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करेंगे।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 165 सहरसा, दिनांक 12-1-2026

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी, सत्तरकटैया, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- श्री अमित कुमार, आई0टी0 मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Raje K.
12/1/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।